

अवान - रामी बनप रामदयाम
क्र.नं. - 66/2015

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
31-8-21	<p>पत्रावली पेशा दुर् (वकीलवादी व वादी उपरिचर नहीं) प्रकरण में वादी व वादी वकील को बार-बार आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाके के बावजूद वादी व वादी वकील उपरिचर नहीं हुए। जिससे ग्रह जाहिर होना है कि वादी व वादी वकील प्रकरणको आगे-चलाके में रुचि नहीं ले रहे हैं। क्र.नं. मु.नं. 66/2015 दावा रामी बनप रामदयाम अदम हाफरी व अदम पौरवी में श्वारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p>उपखाते आं. कारी हिण्डान सिटी (करौली)</p>

